कार्यालयः– प्रभारी अधिकारी, (नीलामी)
अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

क्रमांकः– लेखा/2026–27/ 183 दिनांकः– 3-11-26

नीलामी सूचना

सर्व साधारण सूचित रहे कि इस न्यायालय के स्टोर शाखा में लोहा, लकडी, प्लास्टिक आदि अनुपयोगी सामग्री जिसका पुस्तक मूल्य रूपये 98507/–है, कि नीलामी दिनांक 18.11.2026 को दोपहर 2.00 बजे अपर जिला एवं सेशन न्यायालय लक्ष्मणगढ़ परिसर में की जाएगी। नीलामी में इच्छुक जीएसटी रजिस्टर्ड बोलीदाता धरोहर राशि 2000/–रूपये जमा करवाकर दिनांक 18.11.2026 को 12.00 बजे तक अपर जिला एवं सेशन न्यायालय लक्ष्मणगढ़ में उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं।

1. बोलीदाता अपने फोटोयुक्त पहचान–पत्र अनिवार्य रूप से साथ लायें। नीलामी बोली में भाग लेने वाली समस्त फर्म को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन व पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
2. बोलीदाता को नीलामी दिवस को, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व बोली की धरोहर राशि जमा करानी होगी। असफल बोलीदाताओ को उनके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जायेगी।
3. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर, उपरोक्त धरोहर राशि सहित सम्पूर्ण राशि तत्काल उसी दिन जमा करानी होगी। राशि कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् ही सामग्री का उठाव किया जा सकेगा।
4. सफल बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्चे पर नीलाम शुदा सामग्री का उठाव निर्धारित समयावधि तीन (03) कार्य दिवस के भीतर करना होगा तथा राशि जमा चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
5. सफल बोलीदाता सामग्री पर लगने वाली (SGST/CGST) जीएसटी राशि जो नीलामी की राशि के अतिरिक्त होगी नियमानुसार जमा कराने हेतु जिम्मेदार होगा तथा जमा राशि चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. नीलामी सामग्री नीलामी दिवस को मौके पर नीलामी प्रारम्भ होने के समय देखी जा सकेगी।
7. नीलामी योग्य अनुपयोगी व नकारा सामान की न्यूनतम बोली रूपये 8000/– रखी गई है।
8. नीलामी को स्थगित या रद्द करने अथवा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय प्रभारी अधिकारी (नीलामी) / अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर का होगा, जो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

प्रभारी अधिकारी, (नीलामी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)

क्रमांकः– लेखा/2026–27/184 दिनांकः– 3-11-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, सर्वर कक्ष, जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को ई–कोर्ट्स पोर्टल sikar•dcourts•gov•in पर तुरंत अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
2. सहायक नाजिर, कार्यालय हाजा को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति की प्रतियां अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, उपखण्ड कार्यालय, उपकोषालय तथा मुख्यालय के अन्य समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
3. रोकड़पाल / भण्डारपाल, कार्यालय हाजा को आवश्यक रिकॉर्ड मिलान एवं पालना हेतु।

प्रभारी अधिकारी, (नीलामी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)